

**फर्द अहकाम**

दिनांक	
<p>११/२/२५</p>	<p>पत्रावली चेहा हुई। बार बार आवान डिलाने के अरान्त भी सायल एवं अके अप्रिमता उप० नहीं हुए। अतः मु० नं० २५५/२०२१ उजवान शुडी वनाम प्रिया तारुनि-प्र बाबत अस्यायी निवैयाज्ञा अरम पैरवी अरम तैजिरी में खारिज किया जाता है। पैत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तफ्तील नं० से कम की जाकर मूल दोते के साथ शामिल मिसल रहे।          आदेश खुले न्यायालय में सुमाया गया।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी          हिण्डौल सिटी (करोली)</b></p>